बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1
(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक– 18 दिनांक 28/3/06

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार पटना

आयुक्त एवं सचिव,
गृह विभाग, बिहार पटना

माननीय मुख्य मंत्री के सचिव,
बिहार, पठना

विशेष सचिव,
मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना ।

विषय–बिहार प्रशासनिक सेवा सहित अन्य राजपत्रित पदाधिकारियों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा/प्राथमिकि दर्ज करने के पूर्व राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में संध को ऐसी सूचनायें प्राप्त हो रही है कि संबंधित जिला पदाधिकारी छोटी–छोटी अनिमियताओं के लिए बिहार प्रशासनिक के पदाधिकारियों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दायर करवा रहे है।

1. विदित हो कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी जो प्रखंड एवं अंचल में पदस्थापित है उन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है और वे अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है । ऐसी स्थिति में अगर इनसे कोई अनियमितता होती है तो उसकी जॉच कराकर जिला पदाधिकारी उनपर विभागीय कार्रवाई हेतु अनुशंसा कर सकते है । अगर अपराधिक मामला बनता हो तो सरकार से अनुमति प्राप्त कर उनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दायर किया जा सकता है।

2. पूर्व में इस संबंध में गृह विभाग से एक परिपत्र निर्गत किया गया था जिसका पत्रांक–1075 दिनांक–17.11.1986 है । इसमें प्रमण्डलीय आयुक्तों, जिला पदाधिकारीयों, आरक्षी अधीक्षकों

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद

संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद

कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ — सत्यमेव जयते

पत्रांक–

दिनांक..........................

को स्पष्ट निदेश दिया गया था कि अगर किसी मामले में आरोप इस प्रकार का हो कि संबंधित पदाधिकारी /कर्मचारी के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा करना/गिरफ्तार करना आवश्यक हो तो विभागीय कार्रवाई हेतु नियुक्त पदाधिकारी को अनुशंसा भेजने के साथ–साथ सरकार के संबंधित प्रशासी विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ही फौजदारी मुकदमा दायर करने एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाय । स्पष्ट है कि किसी सरकारी पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के पूर्व संबंधित पदाधिकारी के प्रशासी विभाग की स्वीकृति अनिवार्य होगी ।

3. परन्तु सरकार के उपर्युक्त निर्देशों के अवहेलना करते हुए न केवल बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विरुद्ध प्राथिमिकी दर्ज की जा रही है अपितु अन्य राजपत्रित पदाधिकारियों के विरुद्ध भी इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है जिससे सरकार के राजपत्रित पदाधिकारियों /बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियो का मनोबल काफी गिर गया है और वे सही ढंग से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में कठिनाई महसूस कर रहे है ।

4. भारत सरकार ने भी ऐसे परिपत्र निर्गत किये जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने/गिरफ्तार करने के पूर्व सरकार की अनुमति ली जाती है ।

5. संध को जानकारी मिली है कि बिहार सरकार में भी ~~केन्द्रीय~~ राज्य निगरानी आयोग का गठन किया जा रहा है । संध का अनुरोध होगा कि न केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा /भारतीय आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करने/गिरफ्तार करने के पूर्व सरकार की अनुमति को आवश्यक बनाया जाय बल्कि बिहार प्रशासनिक सेवा के भी पदाधिकारियों को इस नियम के दायरे में

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1
(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक– दिनांक............................

नियम के दायरे में लिया जाय और बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को भी यह गांरटी दी जायगी बिना सरकार के अनुमति के किसी पदाधिकारी के विरुद्ध न फौजदारी मुकदमा दायर किया जाय और न उनकी गिरफ्तारी हो ।

आशा है कि संघ के इन मॉगो पर सरकार निश्चित रुप से शीध्रता शीध्र निर्णय लेगी ।

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

(कृष्ण मुरारी शर्मा)
अध्यक्ष

ज्ञापांक– 18 /पटना, दिनांक– 29/3/06

प्रतिलिपिः– निदेशक आकाशवाणी/दूरदर्शन को सूचनार्थ एवं प्रसारणार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– संपादक सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी/अंग्रेजी को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

विपिन कुमार सिन्हा
महासचवि